

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 7

भेषज विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	252.42	...	252.42	261.47	0.06	261.53	213.41	7.00	220.41	230.45	5.06	235.51
<i>वसूलियां</i>
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	252.42	...	252.42	261.47	0.06	261.53	213.41	7.00	220.41	230.45	5.06	235.51
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	12.64	...	12.64	14.00	...	14.00	14.96	...	14.96	14.15	...	14.15
2. राष्ट्रीय भेषजीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण	9.54	...	9.54	11.50	...	11.50	12.94	...	12.94	12.00	...	12.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	22.18	...	22.18	25.50	...	25.50	27.90	...	27.90	26.15	...	26.15
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
3. राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर)	180.77	...	180.77	135.00	...	135.00	135.00	...	135.00	150.00	...	150.00
4. जन औषधि स्कीम	47.64	...	47.64	84.00	...	84.00	42.51	...	42.51	42.00	...	42.00
5. भेषजीय उद्योग का विकास	1.83	...	1.83	12.97	...	12.97	4.00	...	4.00	8.30	...	8.30
6. उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य मॉनीटरिंग	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	230.24	...	230.24	235.97	...	235.97	185.51	...	185.51	204.30	...	204.30
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
7. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता	0.06	0.06	...	7.00	7.00	...	5.06	5.06
कुल जोड़	252.42	...	252.42	261.47	0.06	261.53	213.41	7.00	220.41	230.45	5.06	235.51
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	239.78	...	239.78	213.95	...	213.95	164.93	...	164.93	179.88	...	179.88
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	12.64	...	12.64	14.00	...	14.00	14.96	...	14.96	14.15	...	14.15
3. रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	0.06	0.06	...	7.00	7.00	...	5.06	5.06

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-आर्थिक सेवाएं	252.42	...	252.42	227.95	0.06	228.01	179.89	7.00	186.89	194.03	5.06	199.09
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	33.52	...	33.52	33.52	...	33.52	36.42	...	36.42
जोड़-अन्य	33.52	...	33.52	33.52	...	33.52	36.42	...	36.42
कुल जोड़	252.42	...	252.42	261.47	0.06	261.53	213.41	7.00	220.41	230.45	5.06	235.51

- सचिवालय:** यह प्रावधान औषध विभाग सचिवालय के वेतन और स्थापना के लिए है।
- राष्ट्रीय भेषजीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण:** यह प्रावधान एनपीपीए के सचिवालय एवं स्थापना व्यय, उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के लिए रखा गया है।
- राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर):** यह प्रावधान सात राष्ट्रीय स्तरीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान अभी भी परिचालनगत, और चार अन्य प्रस्तावित संस्थान के लिए है।
- जन औषधि स्कीम:** प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के कारगर क्रियान्वयन के लिए जन औषधि स्कीम के अंतर्गत
- भेषजीय उद्योग का विकास:** औषध उद्योग विकास योजना में कई उप योजनाएं हैं जैसे औषध संवर्द्धन विकास योजना (पीपीडीएस), क्लस्टर विकास, साझा सुविधा केन्द्र के लिए औषध उद्योग में सहायता, साझा सुविधा केन्द्र इत्यादि के लिए चिकित्सा उपकरण।
- उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य मॉनीटरिंग:** यह प्रावधान उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और राज्य संसाधन यूनितों को सहायता प्रदान करने के लिए है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सहायता:** ये प्रावधान भेषज से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के 6 उपक्रमों के लिए ऋण के अंतर्गत किए गए हैं और 5 करोड़ रुपए 2019-20 के लिए अनुदानों की मांगों को संसद द्वारा पारित करने तथा संबंधित विनियोग विधेयक को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिए जाने के पश्चात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार राजस्थान औषधि एवं भेषज लिमिटेड (आरडीपीएल) के लिए भारत की समेकित निधि में से लिए गए अधिम की पुनःपुर्ति करने के लिए।